

17/11/25

डॉ. शिव प्रसाद सिंह, राजस्थान  
कमला अलारिया, सदस्य

पत्रावली चेस दुई अधिवक्ता

अपीलान्त एवं अपीलान्तध अनुपांक्षित/ दादिवक्ता  
अपीलान्त एवं अपीलान्त को वाट-वाट प्रवाजे  
लगवाइ गई। बावजूद कचना कोई उपलब्ध नहीं।

धतः प्रकण अदम-दाजरी, धडक-पैली

में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद मामील तकासील  
दाविठ दपतर हो

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Signature]*

सदस्य  
राजस्थान न्यायालय

*[Signature]*

सदस्य  
राजस्थान न्यायालय